

कार्यालय ग्राम पंचायत सहजरासर

पंचायत समिति लूनकरनसर (बीकानेर)

सरपंच
श्रीमती आसी देवी

मो. 9001159672
मो. 8003659402

क्रमांक..... 5. PC

दिनांक..... 20/3/2026

ग्राम पंचायत प्रस्ताव 01

बैठक की तिथि 20 मार्च 2026

विषय - 100% जैविक खेती और पशुपालन को अपनाना।

प्रस्तावना :

हम सहजरासर ग्राम पंचायत के निवासी और निर्वाचित सदस्य मिट्टी की बिगड़ती गुणवत्ता रासायनिक इनपुट की बढ़ती लागत और सिंथेटिक कीटनाशकों से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को देखते हुए अपनी पूरी पंचायत को रासायनिक मुक्त जैविक क्षेत्र में परिवर्तित करने का संकल्प लेते हैं।

खंड 1: संकल्प :

1. अनिवार्य जैविक परिवर्तन: इस पंचायत के गांवों में रहने वाले प्रत्येक किसान और पशुपालक कृत्रिम उर्वरकों, यूरिया डीएपी, रासायनिक कीटनाशकों और खरपतवारनाशकों का उपयोग तुरंत बंद करने के लिए सहमत हैं।
2. एकीकृत पशुधन प्रबंधन: पशुपालन में जैविक मानकों का सख्ती से पालन किया जाएगा। किसी भी प्रकार के वृद्धि हार्मोन या प्रतिबंधित एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग नहीं किया जाएगा। पशुओं का चारा पंचायत में उत्पादित जैविक चारे या प्रमाणित जैविक स्रोतों से ही प्राप्त किया जाना चाहिए।
3. सामुदायिक प्रमाणीकरण (पीजीएस.भारत): पंचायत सहभागी गारंटी प्रणाली, पीजीएस.भारत को अपनाएगी। आपसी विश्वास और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी सदस्य सहकर्मियों मूल्यांकन में भाग लेंगे।
4. अपशिष्ट से संसाधन: पशुधन वाले प्रत्येक परिवार गोबर और मूत्र का उचित प्रबंधन करके जैव-उपकरण (घनजीवमृत/जीवमृत) उत्पन्न करने के लिए सहमत हैं ताकि पूरे गांव की मिट्टी की उर्वरता बनी रहे।

खंड 2: निगरानी एवं सुधारात्मक उपाय

सहजरासर के "जैविक ब्रांड" की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कुछ लोगों के कारण बहुसंख्यक लोगों के सामूहिक प्रयासों को बर्बाद न किया जाए, निम्नलिखित उपाय स्वीकृत किए जाते हैं:

स्तर 1: मौखिक चेतावनी एवं सहकर्मियों परामर्श: पहली बार मामूली उल्लंघन (उदाहरण के लिए, पारंपरिक चारे का आकस्मिक उपयोग) के लिए, स्थानीय समूह (एलजी) मौखिक चेतावनी और जैविक विकल्पों पर तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

कार्यालय ग्राम पंचायत सहजरासर

पंचायत समिति लूनकरनसर (बीकानेर)

सरपंच
श्रीमती आसी देवी

मो. 9001159672
मो. 8003659402

क्रमांक 5/PC

दिनांक 20/3/2026

स्तर 2 "जैविक" स्थिति का निलंबन प्रतिबंधित रासायनिक उर्वरकों या कीटनाशकों का जानबूझकर उपयोग करते पाए जाने वाले किसी भी किसान का जैविक प्रमाणपत्र एक फसल मौसम के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। इस दौरान वे सहजरासर ऑर्गेनिक ब्रांड के तहत दूध या फसलें नहीं बेच सकते।

स्तर 3: कोफार्मिन फेडरेशन के लाभों की वापसी: लगातार नियमों का पालन न करने पर कोफार्मिन फेडरेशन द्वारा प्रदान किए जाने वाले सब्सिडी वाले जैव.उपकरण और पशु चिकित्सा सेवाओं को वापस ले लिया जाएगा।

स्तर 4: सार्वजनिक रिकॉर्ड और "बफर ज़ोन" की आवश्यकता: यदि कोई किसान परिवर्तन करने का फैसला करता है तो उसकी भूमि को ग्राम मानचित्र में "पारंपरिक" के रूप में चिह्नित किया जाएगा। उन्हें कानूनी रूप से 5 मीटर का बफर ज़ोन, (भौतिक अवरोध) बनाए रखना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके रासायन पड़ोसी जैविक खेतों को दूषित न करें।

स्तर 5: कोफार्मिन फेडरेशन से पंजीकृत गांव के किसान अपने अपने खेत की फसल की विजाई, खेती का तरीका, फसल का कीट उपचार, व फसल विक्रय आदि के लिए स्वतंत्र रहेगा। कम्पनी द्वारा किसी भी उत्पाद को कम्पनी की शर्तों में बाध्य नहीं रहेगा अपशिष्ट संसाधन गोबर, गौमूत्र, खाद आदि की निष्पादन प्रक्रिया अपने विवेक से ही करेगा।

हस्ताक्षरकर्ता-

1. सरपंच

आसी देवी चौहान
प्रशिक्षक
ग्राम पंचायत-सहजरासर
प.स. लूनकरनसर

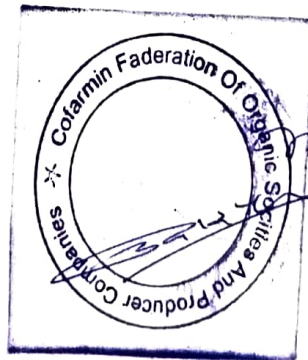
2. उप सरपंच

प्रशिक्षक
ग्राम पंचायत सहजरासर
प. स. लूनकरनसर

3. कोफार्मिन फेडरेशन के प्रतिनिधि

वार्ड पंच दुर्गदास
वार्ड नं. 04 ग्राम पंचायत सहजरासर
प.स. लूनकरनसर

4. वार्ड सदस्य पंच लूनकरनसर



महेश कुमार
mahesh kumar
COFED